सीएसआईआर – केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

पिलानी – 333031 (राजस्थान)

सं. 2(2188)/FRAS/20-स्था.II   दिनांक 24.03.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यालय में आने व जाने के समय का निर्धारण।

उपरोक्त विषय पर पूर्व में जारी सभी कार्यालय ज्ञापनों के अधिक्रमण में यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने संस्थान में कर्मचारियों के आने व जाने के समय का निर्धारण निम्नानुसार करने का सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है:

प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक

(दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक एक घंटे का भोजानावकाश)

इसके साथ ही निम्नांकित शर्तें भी लागू होंगी:

1. संस्थान के सभी कार्मिकों को अपनी उपस्थिति मुखाकृति पहचान उपस्थिति प्रणाली (Face Recognition Attendance System - FRAS) के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य होगा।

2. सभी कार्मिकों को अंदर आते समय तथा संस्थान से बाहर जाते समय प्रत्येक अवसर पर FRAS में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

3. सुबह व दोपहर के समय आने में 15 मिनट की शिथिलता (flexibility) होगी अर्थात् सुबह 09:15 बजे तक तथा दोपहर में 02:15 बजे तक FRAS में उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।। इस शिथिलता का समायोजन उसी दिन शाम 06:30 बजे तक किया जा सकेगा। समायोजन न होने की स्थिति में प्रतिदिन देरी से आने पर आधे दिन के आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी। आकस्मिक अवकाश शेष न होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की कटौती की जाएगी।

4. प्रत्येक कार्मिक को 8 घंटे की कार्यावधि उसी कार्यदिवस में पूरी करनी होगी।

5. कोई कार्मिक किसी कार्यदिवस पर FRAS के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता/करती है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा तथा ऐसे मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा। छुट्टी/अनुपस्थिति की अवधि पर संबंधित प्रशासनिक अनुभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. यदि कोई कर्मचारी लगातार/आदतन देर से उपस्थित होता है तो आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटने के अलावा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

7. इन कार्य घंटों का अनुपालन अस्थायी कर्मचारियों यथा परियोजना कर्मियों, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं, अनुसंधान सहयोगियों (Research Associates), प्रशिक्षुओं (Trainees), शिक्षुओं (Apprentices) इत्यादि को भी करना होगा। छुट्टी/अनुपस्थिति/कम कार्य घंटों की स्थिति में परिलब्धियों/अध्येतावृत्ति का भुगतान समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से लागू होंगे।

जय शंकर

(जय शंकर शरण)
प्रशासन नियंत्रक

1. सभी कर्मचारी/अधिकारी – ईमेल के माध्यम से
2. प्रभारी, ए.आई.टी.जी. – इस का.ज्ञा. के संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड तथा “मुखाकृति पहचान उपस्थिति प्रणाली” में आवश्यक संशोधन व अद्यतनीकरण के अनुरोध सहित।